

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

(भारत सरकार द्वारा संस्थापित)

माधव विलास पैलेस,

आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)

(नागेश्वर औषध निर्माणशाला)

विस्तृत ई-निविदा सूचना, नियम एवं शर्तें

- संस्थान के नागेश्वर औषध निर्माणशाला के उपयोग हेतु (संलग्न सूची परिशिष्ट अ) की जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों एवं खनिजों (आयुर्वेदिक) क्रय की जानी है जिसके लिये आमंत्रित निविदा की अनुमानित लागत धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क उनके सम्मुख अंकितानुसार होगी। जमा धरोहर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

क्र.सं.	नाम वस्तु	अनुमानित लागत	धरोहर राशि प्रतिशत
1.	कच्ची औषधियाँ (आयुर्वेदिक)	4,65,52,163/-	9,31,043/-

- निविदा का फॉर्म एवं निविदा की शर्तें ऑनलाईन (On-line) ई-निविदा (e-Tender) पर उपलब्ध होगी :-

क्र.सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रारंभ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	14.02.2025 05:00 PM
2.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि एवं समय स्थान:- सेमीनार हॉल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	19.02.2025 03:00 PM
3.	निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	06.03.2025 03:00 PM
4.	धरोहर राशि का डी.डी. तथा कच्ची औषधियों के सैम्पल संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	06.03.2025 03:00 PM
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	07.03.2025 03:00 PM

- निविदाओं की टेक्नीकल एवं फाईनेन्सियल बिड सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाईन (On-line) उपरोक्त तिथियों के अनुसार भरी जावेगी। डाउनलोड करके ऑन लाईन प्रस्तुत की गई निविदा की निर्धारित धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं सैम्पल, टर्नओवर, कार्य अनुभव, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों में सप्लाय करने का अनुभव सम्बन्धित दस्तावेज स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा धरोहर राशि का डी.डी. एवं सैम्पल दिनांक 06.03.2025 को सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
- सप्लाय किये जाने वाली औषधियों के सील्ड नमूने पृथक्-पृथक् से सील्ड पैकेट/कार्टून में संस्थान में देना अनिवार्य हैं। तथा पैकेट/कार्टून पर “Rate Contract for Supply of Raw drugs” लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधि के नमूने पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, निविदा में अंकित औषधि सूची (संलग्न सूची परिशिष्ट अ) की क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगाना भी अनिवार्य हैं। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें।
- जो निविदाकार ई-निविदा में भाग लेना चाहते हैं, वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाइट पर ऑन-लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाकार को यह सलाह दी जाती है कि इन्टरनेट जाम की स्थिति से बचने के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय की प्रतीक्षा नहीं करें यथा सम्भव निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।
- निविदा धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से “Vice Chancellor, National Institute of Ayurveda” के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर संस्थान में जमा करानी होगी। धरोहर राशि के लिए बैंक मान्य नहीं होंगे। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान कोई विचार नहीं करेगा।
- निविदा स्वीकृत होने पर असफल निविदाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदाताओं को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि का डी.डी. तथा रुपये 500/- के नॉन ज्यूडीशियल

स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप पोर्टल पर ऑन लाईन उपलब्ध रहेगा। सफल निविदादाताओं को सुरक्षा धनराशि जमा करवाये जाने के पश्चात् धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।

8. सफल निविदादाता को वार्षिक अनुबन्ध (Contract) के कुल मूल्य की 5 प्रतिशत सिक्वोरिटी राशि संस्थान में जमा करानी होगी तथा सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण सिक्वोरिटी राशि जमा करवाने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
9. निविदा में स्वीकृत दर की अनुबन्ध अवधि समाप्त होने एवं दिये गये आदेश की सफ़लाई पूर्ण होने पर सिक्वोरिटी राशि लौटाई जायेगी।
10. संस्थान को निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने एवं शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं की जाती है तो निविदादाता की धरोहर/सिक्वोरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
11. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ फर्म के निम्नलिखित दस्तावेज लगाना अनिवार्य है :-
 - a) पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति,
 - b) GST रिटर्न पिछले वित्तीय वर्ष
 - c) आयकर की रिटर्न पिछले वित्तीय वर्ष का
 - d) निविदादाता का पिछले तीन वर्षों का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर राशि 23276081.50 होना अनिवार्य है जो की CA द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
 - e) पिछले 3 वर्षों का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पी एस यू, सरकारी संस्था को कच्ची औषधियों की आपूर्ति का अनुभव, जिसके संलग्न में Purchase order लगाने होंगे।

उक्त के अभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी।

12. सफल निविदादाताओं को औषधियों माप, तौल तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी।
13. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा जो सभी फर्मों को मान्य होगा।
14. न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा। किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषध नमूना अमान्य होने पर निविदादाता द्वारा उस औषधि की BOQ में प्रस्तावित दर न्यूनतम होने पर भी विचार नहीं किया जावेगा। संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। यदि किसी औषधि की न्यूनतम दर एक से अधिक फर्म की आती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का टर्नओवर, देखा जाकर जिस फर्म का टर्नओवर अधिक होगा उसी फर्म की न्यूनतम दर तय की जावेगी तथा उसे आपूर्ति का आदेश दिया जावेगा। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. **मेक इन इंडिया (MII) उत्पादों को क्रय प्राथमिकता—Class-I** स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, जैसा कि संबंधित नोडल मंत्रालय द्वारा विशिष्ट वस्तुओं/उत्पादों के लिए Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017 के क्रम में समय-समय पर संशोधित आदेशों एवं इसके बाद के आदेशों/अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, को प्राथमिकता दी जायेगी। Class-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री 50% होनी चाहिए। जिसके लिए निविदा दाताओं को स्वघोषित प्रमाण पत्र (self declaration certificate) देना होगा।
16. MSME एवं Startups निविदादाता फर्मों को वैध दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण पर नियमानुसार MSME/Startups के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
17. निविदा की Pre-Bid Meeting इच्छुक/संभावित निविदादाताओं के साथ संस्थान में दिनांक 19.02.2025 को 3:00 PM बजे रखी जायेगी। सभी इच्छुक/संभावित निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे Pre-Bid Meeting में उपस्थित होकर या Pre-Bid Meeting से पहले या उसके 24 घंटे के भीतर लिखित में अपने सुझाव या प्रतिवेदन, अगर कोई हो तो संस्थान की Email ID: nia.centralstore7@gmail.com या store-nia-rj@gov.in पर भेजें।

18. यदि किसी निविदादाता को किसी कारणवश अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे अविलम्ब वापस संस्थान में जमा करना होगा तथा निविदादाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
19. औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य (Reject) कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी का इस संबंध में किसी प्रकार का व्लेम मान्य नहीं होगा । अमान्य माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी ।
20. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता व्यापारी **औषधियों की पैकिंगजूट से बनी नई बोरियों** में ही करें, नियमानुसार प्लास्टिक बारदाने का इस्तेमाल नहीं करें तथा औषधियाँ भेजते समय प्रत्येक पैकिंग नग (बोरी) पर सफेद रंग का टैग लगाया जाकर टैग पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, मात्रा एवं सप्लाई वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करें।
21. आदेशित माल की सप्लाई रविवार एवं सरकारी अवकाश के अलावा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय समय में करनी होगी।
22. क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है । अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा ।
23. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान कुलपति को होगा।
24. निविदा में अंकित दरें प्रथम आदेश दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को प्रत्येक आदेश दिनांक से 30 दिन के अन्दर अन्दर अंकित दरों पर सामान की आपूर्ति करनी होगी। कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अवधि अगले छः माह तक बढ़ाई जा सकती है।
25. औषधियों की आपूर्ति टुकड़ों में स्वीकार नहीं होगी निर्धारित अवधि में एक साथ करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढ़ाने का अधिकार कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। फर्म द्वारा सप्लाई की अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध निर्धारित आपूर्ति दिनांक से पूर्व करना होगा। विलम्ब से प्राप्त माल को पेनल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान कुलपति महोदय को होगा। विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनल्टी वसूल की जावेगी :-
 - (अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत ।
 - (ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 30 दिवस तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 10 प्रतिशत
 - (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में / कम आपूर्ति किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा तथा मूल्य के अन्तर राशि फर्म से पेनल्टी के रूप में वसूली जावेगी।
26. फर्म द्वारा बिल/इनवाइस तीन प्रतियों में एवं जीएसटी नियमानुसार E way Bill संलग्न कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
27. एक वस्तु/औषध की Non supply or Late supply or Less supply पर प्रत्येक बार शास्ति लगेगी।
28. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।
29. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते ।
30. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।
31. निविदादाता फर्म को नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म केन्द्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। उक्त कथन असत्य होने पर कुलपति, द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

32. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नहीं किया जाता है तो कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्क्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
33. सप्लाई में हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1/2 दिन से कम का है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।
34. यदि अनुमोदित वितरक अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में किन्हीं व्यवधान के कारण माल प्रदाय करने में असफल रहता है तो व्यवधान उत्पन्न होते ही कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर को तुरन्त लिखित में अवगत कराना चाहिए, लेकिन समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व करना होगा।
35. निविदादाता निविदा भरते समय बीओक्यू में जीएसटी राशि कुल मात्रा की राशि के अनुसार बनने वाली जीएसटी राशि भरे, अगर किसी निविदादाता के द्वारा प्रति किलो की जीएसटी राशि भरी जाती है तो उसे पूर्ण जीएसटी राशि सहित ही माना जावेगा।
36. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तन से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
37. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

-sd-

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैंने / हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय

मोहर

(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण—स्वरूप)

उपरोक्त सभी कार्य DevLys 010 एवं Mangal फोन्ट में किया गया है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
(भारत सरकार द्वारा संस्थापित)
माधव विलास पैलेस,
आमेर रोड़,जयपुर-302002 (राजस्थान)
(नागेश्वर औषध निर्माणशाला)
ई-निविदा प्रपत्र

क्रमांक : दिनांक :

प्रेषक फर्म का नाम व पता :
.....
.....

प्रेषित :-

कुलपति महोदय
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,
जयपुर ।

विषय : आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी/कच्ची औषधियों एवं खनिजोंकी आपूर्ति हेतु ऑनलाईन ई-निविदा।

महोदय,

विज्ञापन के संदर्भ में संस्थान रसायनशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों एवं खनिजोंकी आपूर्ति हेतु अपनाई-निविदा प्रपत्र प्रेषित कर रहे हैं।

ई-निविदाप्रपत्र को भरने से पूर्व निविदा की शर्तों को सर्व प्रथम भली प्रकार से पढ कर समझ लेने के पश्चात ही ई-निविदा प्रपत्र को भरें।

1. निविदा के लिये आवश्यक धरोहर राशि जमा करवाने संबंधी विवरण निम्न प्रकार है :-
अ.डिमाण्ड डाफ्ट क्रमांक दिनांक..... राशि बैंक का नाम.....
..... कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम संलग्न है।
2. निविदा का फार्म एवं निविदा की शर्तें <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं www.nia.nic.in पर उपलब्ध होगी।
3. धरोहर राशि कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के नाम बैंक ड्राफ्ट में जमा करानी होगी। धरोहर राशि के लिए चैक मान्य नहीं होंगे। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदाओं की टेक्नीकल एवं फाईनेन्सियल बिड सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाईन (On-line) उपरोक्त तिथियों के अनुसार भरी जावेगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के डी.डी. एवं फर्म का टर्नओवर, कार्य अनुभव तथा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने सम्बन्धित दस्तावेज तथा सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सील्ड नमूने पृथक-पृथक से सील्ड पैकेट/कार्टून में संस्थान में देना अनिवार्य हैं। तथा पैकेट/कार्टून पर "Rate Contract for Supply of Raw drugs" लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधि के नमूने पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, निविदा में अंकित औषधि सूची की क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहरलगाना भी अनिवार्य हैं। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें।
5. निविदा स्वीकृत होने पर असफल निविदाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदाताओं को 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि का डी.डी. तथा रुपये 500/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप पोर्टल पर ऑन लाईन उपलब्ध रहेगा। सफल निविदादाताओं को सुरक्षा धनराशि जमा करवाये जाने के पश्चात् धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। प्रथम आपूर्ति आदेश के 15 दिवस के भीतर अनुबन्ध पत्र संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।

6. सफल निविदादाता को वार्षिक अनुबन्ध (Contract) के कुल मूल्य की 5 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि संस्थान में जमा करानी होगी तथा सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण सिक्योरिटी राशि जमा करवाने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
7. निविदा में स्वीकृत दर की अनुबन्ध अवधि समाप्त होने एवं दिये गये आदेश की सप्लाई पूर्ण होने पर सिक्योरिटी राशि लौटाई जायेगी।
8. निविदादाता द्वारा शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसकी जमा सिक्योरिटी/धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अवस्था में संस्थान को निविदादाता की धरोहर/सिक्योरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा। फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
10. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ फर्म के निम्नलिखित दस्तावेज लगाना अनिवार्य है :-
 - (a) पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति,
 - (b) GST रिटर्न पिछले वित्तीय वर्ष
 - (c) आयकर की रिटर्न पिछले वित्तीय वर्ष का
 - (d) निविदाकापिछले तीन वर्षों न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर राशि 23276081.50 होना अनिवार्य है जो की CA द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
 - (e) पिछले 3 वर्षों का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पी एस यू, सरकारी संस्था को कच्ची औषधियों की आपूर्ति का अनुभव, जिसके संलग्न में Purchase order लगाने होंगे।उक्त के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
11. सफल निविदादाताओं को औषधियों माप, तोल तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी।
12. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा, जो सभी फर्मों को मान्य होगा।
13. न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा। किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषध नमूना अमान्य होने पर निविदादाता द्वारा उस औषधि की BOQ में प्रस्तावित दर न्यूनतम होने पर भी विचार नहीं किया जावेगा। संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। यदि किसी औषधि की न्यूनतम दर एक से अधिक फर्म की आती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का टर्नओवर, देखा जाकर जिस फर्म का टर्नओवर अधिक होगा उसी फर्म की न्यूनतम दर तय की जावेगी तथा उसे आपूर्ति का आदेश दिया जावेगा। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
14. औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी का इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा। अमान्य माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
15. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता व्यापारी औषधियों की पैकिंगजुट से बनी नई बोरियों में ही करें, नियमानुसार प्लास्टिक बारदाने का इस्तेमाल नहीं करें तथा औषधियाँ भेजते समय प्रत्येक पैकिंग नग (बोरी) पर सफेद रंग का टैग लगाया जाकर टैग पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, मात्रा एवं सप्लाई वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करें।
16. आदेशित माल की सप्लाई रविवार एवं सरकारी अवकाश के अलावा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय समय में करनी होगी।
17. क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा।

18. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान कुलपतिमहो0 को होगा ।
19. औषधियों की आपूर्ति टुकड़ों में स्वीकार नहीं होगी निर्धारित अवधि में एक साथ करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढ़ाने का अधिकार कुलपति महोदय,राष्ट्रीयआयुर्वेद संस्थान,जयपुर को होगा। फर्म द्वारा सप्लाई की अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध निर्धारित आपूर्ति दिनांक से पूर्व करना होगा। विलम्ब से प्राप्त माल को पेनल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान कुलपति महोदय को होगा। विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनल्टी वसूल की जावेगी :-
- (अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 5 प्रतिशत ।
- (ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 30 दिवस तक) विलम्ब पर विलम्ब से सप्लाई किये गये माल की कीमत का 10 प्रतिशत
- (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में / कम आपूर्ति किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा तथा मूल्य के अन्तर राशि फर्म से पेनल्टी के रूप में वसूली जावेगी।
20. निविदा में अंकित दरें प्रथम आदेश दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को प्रत्येक आदेश दिनांक से 30 दिन के अन्दर अन्दर अंकित दरों पर सामान की आपूर्ति करनी होगी। कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,जयपुर द्वारा स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अवधि अगले छः माह तक बढ़ाई जा सकती है।
21. एक वस्तु/औषध की Non supply or Late supply or Less supply पर प्रत्येक बार शास्ती लगेगी।
22. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कुलपति, राष्ट्रीयआयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।
23. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं कुलपति महोदय, राष्ट्रीयआयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखितइकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते ।
24. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नहीं किया जाता है तो कुलपति महोदय, राष्ट्रीयआयुर्वेद संस्थान,जयपुर को अमानत/सिक्क्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।
25. निविदादाता फर्म को नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था में ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। उक्त कथन असत्य होने पर कुलपति महोदय द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
26. सप्लाई में हुई विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1/2 दिन से कम का है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।
27. यदि अनुमोदित वितरक अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में किन्हीं व्यवधान के कारण माल प्रदाय करने में असफल रहता है तो व्यवधान उत्पन्न होते ही कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर को तुरन्त लिखित में अवगत कराना चाहिए, लेकिन समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निर्धारित आपूर्ति तिथि से पूर्व होगा।
28. निविदादाता निविदा भरते समय बीओक्यू में जीएसटी राशि कुल मात्रा की राशि के अनुसार बनने वाली जीएसटी राशि भरे, अगर किसी निविदादाता के द्वारा पर प्रति किलो की जीएसटी राशि भरी जाती है तो उसे पूर्ण जीएसटी राशि सहित ही माना जावेगा।
29. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तन से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति महोदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त साक्षी में पाटियों द्वारा दिनांक _____ को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
30. मैं / हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते हैं और इससे बाध्य रहेगे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम

पता/दूरभाष

(सबड़ की मोहर लगावें)

उपरोक्त सभी कार्य DevLys 010 एवं Mangal फोन्ट में किया गया है।

अनुबन्ध-पत्र

1. यह करार आज दिनांक _____ जो कि M/s _____ (अनुमोदित वितरक) प्रथम पक्ष कहलायेगा तथा जहाँ पर इस प्रकार का प्रसंग आवेगा इसमें उसका उत्तराधिकारी निष्पादन एवं प्रशासक भी शामिल होगा एवं दूसरी ओर से द्वितीय पक्ष कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्व विद्यालय, जयपुर जिसका की अर्थ प्रसंग आने पर कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी से होगा, के बीच सम्पन्न किया गया।
2. चूँकि M/s _____ (अनुमोदित वितरक) कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर पर आदेशित कच्ची औषधियों (Raw drugs) की आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है। अतः इसके संलग्न अनुसूची में कच्ची औषधियों का विवरण मय नाम, दरों इत्यादि का उल्लेख अनुसूची के कॉलम 2 - 4 में किया गया है।
3. चूँकि M/s _____ (अनुमोदित वितरक) ने रूपये _____ का एफ.डी.आर./ डी.डी./ बी.जी. संख्या _____ दिनांक _____ जो अनुबन्ध के उचित परिपालन के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा कर दिये हैं।
4. वे साक्षियों प्रस्तुत करते हैं कि :-

एतद् संलग्न अनुसूची में दी गई दरों पर कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये किये जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुये M/s _____ (अनुमोदित वितरक) Rate Contract for Supply of Raw drugs की निविदा दिनांक _____ की शर्तों में व दिये गये तरीकों के अनुसार संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 व 3 में वर्णित कच्ची औषधियों (Raw drugs) की कॉलम संख्या 5 में दी गई अवधि में उचित आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य करेगा।

- a. निविदा विज्ञापन संख्या _____ दिनांक _____ के साथ तथा अनुबन्ध के साथ भी संलग्न निविदा की शर्तों को इस अनुबंध के एक भाग के रूप में समझा जावेगा, जो इस अनुबन्ध को करने वाले दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
 - b. निविदा दाता M/s _____ (अनुमोदित वितरक) से प्राप्त पत्र दिनांक _____, और संस्थान द्वारा जारी पत्र क्रमांक _____ दिनांक _____ एवं निविदा विज्ञापन संख्या _____ दिनांक: _____ के साथ संलग्न दस्तावेज व उन में वर्णित टेन्डर से संबंधित सभी शर्तें इस अनुबंध पत्र के अंश होंगे।
 - c. संस्थान एतद् द्वारा इस बात पर सहमत होता है कि M/s _____ (अनुमोदित वितरक) उक्त तरीके से उपयुक्त कच्ची औषधियाँ (Raw drugs) की आपूर्ति का कार्य ठीक प्रकार से करेगा तथा निविदा की शर्तों को ध्यान में रखेगा एवं उनका पालन करेगा तो संस्थान M/s E _____ (अनुमोदित वितरक) द्वारा कच्ची औषधियाँ (Raw drugs) के लिये प्रेषित बिलों की देय राशि का उक्त शर्तों में दिये समय पर एवं उसमें बताये गये ढंग से कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये भुगतान करेगा अथवा करायेगा।
5. भुगतान पी एफ एम एस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन सेवा) के माध्यम से होगा।
 6. कच्ची औषधियों (Raw drugs) की आपूर्ति टेण्डर की शर्त संख्या 25 के अनुसार 30 दिवस में करना होगा।
 7. M/s _____ (अनुमोदित वितरक) द्वारा कच्ची औषधियों (Raw drugs) की समय पर आपूर्ति एवं स्थापना संस्थान में नहीं की जाती है तो टेण्डर की शर्त संख्या 24, 25 के अनुसार कच्ची औषधियों (Raw drugs) की कीमत के आधार पर 5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के हिसाब से एवं अधिकतम 10 प्रतिशत पेनल्टी वसूल की जावेगी।
 8. विलम्ब की अवधि की गणना करने में दिवस का अंश यदि वह 1/2 दिन से कम का है तो उसे छोड़ दिया जावेगा।

9. यदि M/s _____ (अनुमोदित वितरक) अनुबंध में निर्धारित समावधि में किन्ही व्यवधान के कारण कच्ची औषधियों (Raw drugs) की आपूर्ति करने में असफल रहता है तो व्यवधान उत्पन्न होते ही कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को तुरंत लिखित में अवगत करायेगा, लेकिन समयावधि बढ़ाये जाने हेतु आवेदन निर्धारित तिथि से पूर्व करना होगा।
10. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निर्वचन) Interpretation (से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त साक्षी में पाटियों द्वारा दिनांक _____ को अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

प्रथम पक्ष (आपूर्तिकर्ता फर्म)

द्वितीय पक्ष (कुलपति के प्रतिनिधि)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

दिनांक -----

साक्षी संख्या 1
नाम :
पिता का नाम :
आधार संख्या :
मोबाईल नम्बर :
पूर्ण पता :

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2
नाम :
पिता का नाम :
आधार संख्या :
मोबाईल नम्बर :
पूर्ण पता :

साक्षी संख्या 2

अनुसूची

क्र.सं.	सामान/मशीन का नाम	मात्रा	अनुमोदित दर	आपूर्ति अवधि
1.	2.	3.	4.	5.
01.				

Independent External Monitors (IEM) -

Either or both of the following Independent External Monitors will have the power to access the entire project document and examine any complaints received by him. In case of any change in IEMs, it will be informed accordingly.

The communication details of the IEMs are as follows: -

a) Shri Devendra Kumar Pathak, IPS (Retd.)

L/G4, Amrapali Sapphire, Sector-45,
Noida, UP- 201303 Mobile No.
9650806205
E-Mail: pathak56515@gmail.com

b) Shri Varanasi UdayaBhaskar, Ex-CMD, BDL

Flat No. 101, 1st Floor, Block No. B
ShriBalajiGulmohar Township, Bachpalle, K
V Rangareddy, Hyderabad- 500090
Mobile No. 09490796474

E-Mail: varudabha@yahoo.co.in

1. Integrity Pact

- a) The Integrity pact essentially envisages the agreement between prospective vendors / Bidders & buyers committing the person/officials of both the parties not to exercise any corrupt influence on any aspects of the contract. Only those vendors/bidders who enter into such an integrity pact with the buyer would be competent to participate in the bid. The format of integrity Pact is enclosed with tender documents.
- b) The "Integrity pact on Govt. issued Stamp paper of Rs. 100 Duly filled as per enclosed format to be submitted in original. Bidders to ensure that every page of IP is ink signed with company seal/Stamp in every page.

.....PACKAGE FOR

.....

BIDDING DOCUMENT NO.

INTEGRITY PACT

Between

National Institute of Ayurveda Deemed University (hereinafter referred to as "The Employer/Buyer") And

.....(hereinafter referred to as "The Bidder/Contractor ")

And

..... (hereinafter referred to as "JV Partner/Consortium Members")

(if applicable)

Preamble

The Employer/Buyer invites the bids from all eligible bidders and intends to enter into contract for with the successful bidder(s), as per organizational systems and procedures. The Employer values full compliance with all relevant laws and regulations, and the principles of economical use of resources, and of fairness and transparency in its relations with its Bidder(s) and/or contractor(s).

In order to achieve these goals, the Employer will appoint Independent External Monitor(s) (IEM), who will monitor the bidding process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

Section 1 Commitments of the Employer/Buyer

- 1. The Employer/Buyer Commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles in this regard:-

- a) No employee of the Employer/Buyer, either in person or through family members including relatives,

- will in connection with the bidding for or the execution of a Contract, demand or accept a promise for or accept for him/herself or for a third person, any material or immaterial benefit to which he/she is not legally entitled to.
- b) The Employer/Buyer shall, during the bidding process treat all bidders with equity and reason. The Employer will, in particular, before and during the bidding process, provide to all Bidders the same information and will not provide to any Bidder confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the bidding process or the Contract execution.
 - c) The Employer/Buyer will exclude from the process all known prejudiced persons.
2. If the Employer/Buyer obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act or if there be a substantive suspicion in this regard, the Employer/Buyer will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

Section 2 Commitments and undertakings by the Bidder/contractor

1. The Bidder/Contractor commits and undertakes to take all measures necessary to prevent malpractices & corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the bidding process and during the execution of the contract:
 - a) The Bidder/Contractor undertakes not to, directly or through any other person or firm offer, promise or give or influence to any employee of the Employer associated with the bidding process or the execution of the contract or to any third person on their behalf any material or immaterial benefit which he/she is not legally entitled, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the bidding process or during the execution of the contract.
 - b) The Bidder/contractor undertakes not to enter into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal with other Bidders. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other action to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c) The Bidder/contractor undertakes not to commit any offence under the relevant Anti- corruption Laws of India; further the Bidder/contractor will not use improperly, any information or document provided by the Employer as part of the business relationship, regarding plans, technical, proposals and business details, including information contained or transmitted electronically for purpose of competition or personal gain and will not pass the information so acquired on to others.
 - d) The Bidder/Contractor, when presenting his bid, undertakes to disclose any and all payments made, or is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the bidding process and / or award of the contract.
 - e) The foreign Bidder/Contractor, when presenting his bid, undertakes to disclose the name and address of agents and representative in India. Further, Indian Bidder/Contractor when presenting his bid, undertakes to disclose the name and address of its foreign principals or associates.
2. The Bidder/Contractor will not instigate and allure third persons/parties to commit offences outlined above or be and accessory to such offences.

Section 3 Disqualification from Bidding Process and Exclusion from Future contracts

1. If the Bidder(s)/contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of any provisions of Section 2 so as to put his reliability or credibility as Bidder into question, the Employer shall be entitled to disqualify the Bidders(s)/ contractor(s) from the bidding process or to terminate the contract, if signed on the ground.
2. If the Bidder/Contractor has committed a transgression through a violation of Section 2 such as to put his reliability or credibility into question, the Employer shall be entitled to exclude including blacklist and put on holiday the Bidder/Contractor for any future tenders/Contract award process. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of the transgression. The severity will be determined by the Employer taking into consideration the full facts and circumstances of each case particularly taking into account the number of transgressions, the position of the transgressors within the company hierarchy of the Bidder and the amount of the damage. The exclusion will be imposed for a period not exceeding two (02) years.
3. A transgression is considered to have occurred if the Employer after due consideration of the available evidence concludes that no reasonable doubts is possible.

4. The Bidder with its free consent and without any influence agrees and undertakes to respect and uphold the Employer's absolute rights to resort to and impose such exclusion and further accepts and undertakes not to challenge or question such exclusion on any ground, including the lack of any hearing before the decision to resort to such exclusion is taken. This undertaking is given freely and after obtaining independent legal advice.
5. Subject to full satisfaction of the Employer, the exclusion of Bidder/contractor could be revoked by the Employer if the Bidder/Contractor can prove that he has restored/recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system in his organization.

Section 4 Compensation for Damages including Forfeiture of Earnest Money Deposit/ Security Deposit/ Performance & Advance Bank Guarantees

1. If the Employer has disqualified the Bidder/Contractor from the bidding process or has terminated the contract pursuant to Section 3, the Employer shall forfeit the Earnest Money Deposit/Bid Security, encash contract performance Bank Guarantees in addition to excluding the bidder from the future award process and terminating the contract.
2. In addition to 1 above, the Employer shall be entitled to take recourse to the relevant provisions of the contract related to Termination of contract due to contractor's Default.

Section 5 Previous Transgressions

1. The Bidder swears on oath that no previous transgression impinging on anti-corruption principles / any malpractice as mentioned in Section-2 has occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact, with any other company / any Public Sector Enterprise/ Undertaking in India / any government Department in India.
2. If the Bidder makes incorrect statement on previous transgression as mentioned above in para 1, bidder can be disqualified from the bidding process or the contract, if already awarded, can be terminated on this ground.

Section 6 Company code of conduct

Bidders are also advised to have a company code of conduct (clearly rejecting the use of bribes and other unethical behaviour) and a compliance program for the implementation of the code of conduct throughout the company.

Section 7 Independent External Monitors (IEM)

1. The Employer will appoint competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the IEMs is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
2. The IEMs are not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He shall report to CMD of the Employer or a person authorized by him.
3. The Bidder/Contractor accepts that the IEMs have the right to access without restriction to all project documentations of the Employer including that provided by the contractor. The contractor will also grant the IEMs, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his Project Documentations. The same is applicable to Subcontractors. The IEMs are under contractual obligation to treat the information and documents of the bidder / contractor / Sub-contractors/ JV partners/Consortium member with confidentiality.
4. The Employer will provide to the IEMs sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Employer and the contractor. The parties offer to the IEMs the option to participate in such meetings.
5. As soon as the IEMs notice, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Employer (CMD of the Employer or a person authorized by him) and request to discontinue or to take corrective action, or to take other relevant action. The IEMs can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the IEMs has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action. However, Independent External Monitor shall give an opportunity to the bidder/contractor to present its case before making its recommendations to the Employer.
6. The IEMs will submit a written report to CMD of the Employer or a person authorized by him within 30 days from the date of reference or intimation to him by the employer and, should the occasion arise, submits proposals for correcting problematic situations.

7. The Bidder / Contractor accepts that they shall not approach courts while the matter / complaint / dispute has been referred to the IEM in terms of this pact and they shall await IEMs decision before approaching any court.
8. If the IEMs have reported to CMD of the Employer or a person authorized by him a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/ PC Act, and he has not, within reasonable time, taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the IEMs may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner, government of India.
9. The word “ IEM “ will include Singular or Plural.

Section 8 Pact Duration

This pact comes into force from the date of signing by all the parties. It shall expire for the Contractor 12 months after the last payment under the respective Contract, and for all other unsuccessful bidders 6 months after the Contract has been awarded

Section 9 Miscellaneous Provisions

1. This Pact is subject to Indian Law. The place performance and jurisdiction shall be Jaipur.
2. Should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.
3. The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the extant law in force relating to any civil or criminal proceedings.
4. If the contractor is a JV partnership / Consortium, this agreement must be signed by all the partners of JV / Consortium Partners as the case may be.

The Parties hereby sign this Integrity Pact aton thisday of.....20.....

Employer
Partner(s)/

Bidder/ contractor

Joint Venture
Consortium

Member(s)

(As Applicable)

Witness

Witness

Witness

1. _____
2. _____

1. _____
2. _____

1. _____
2. _____

c)

परिशिष्ट-अ

रसायनशाला, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
सत्र 2025-26 के निविदा हेतु कच्ची औषधियों की सूची

क्र.सं- (Sr.No)	औषधि का नाम (Drug Name)		Botanical Name	प्रयोज्य अंग (Part use)		आवश्यक मात्रा (किलो ग्राम/ली)
1.	ऑवला	Amalaki	<i>Emblica officinalis</i> Gaertn	शुष्क फलमज्जा	(P.)	8235
2.	अर्जुन छाल	Arjuna	<i>Terminalia arjuna</i> W & A	शाखा त्वक	(St.Bk.)	1293
3.	अश्वगंधा	Ashwagandha	<i>Withania somnifera</i> Dunal	मूल	(Rt.)	7585
4.	बहेडा	Baheda	<i>Terminalia belerica</i> Roxb.	शुष्क फलमज्जा	(P.)	3497
5.	टंकण / बाल सुधा	Tankan(Borax)				4127
6.	बिल्व गिरि	Bilvagiri	<i>Aegle marmelos</i> Corr.	शुष्क फलमज्जा	(Frt.Pulp)	578
7.	चोपचीनी	Chopchini	<i>Smilax china</i> Linn	मूल	(Rt.)	1645
8.	गोदन्ती	Godanti	Calcium sulphate	CaSO ₄ .2H ₂ O		816
9.	गोखरू छोटा	Gokharu	<i>Tribulus terrestris</i> Linn	फल	(Fr.)	6150
10.	हरितकी	Haritaki	<i>Terminalia Chebula</i> Retz	शुष्क फलमज्जा	(P.)	8348
11.	कुटकी	Kutaki	<i>Picorrhiza kurroa</i> Royle	मूल	(Rt.)	1519
12.	मुलेठी	Mulethi	<i>Glycerrhiza glabra</i> Linn	मूल	(Rt.)	2821
13.	नागकेशर	Nagkeshara	<i>Mesua ferrea</i> Linn	पुंकेशर	(Stmn.)	966
14.	सौंठ	Shunthi	<i>Zingiber officinale</i> Rosc	प्रकन्द	(Rz.)	4341
15.	पिप्पली छोटी	Pippali	<i>Piper longum</i> Linn	फल	(Fr.)	2077
16.	पिप्पलामूल	Pippali moola	<i>Piper longum</i> Linn	मूल	(Rt.)	462
17.	चित्रक	Chitraka	<i>Plumbago zeylanica</i> Linn.	मूल	(Rt.)	336
18.	चव्य	Chavya	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	शाखा	(St.)	233
19.	कंकोल / शीतल मरिच	Kankola	<i>Piper cubeba</i> Linn	फल	(Fr.)	935
20.	पुष्करमूल	Puskaramoola	<i>Inula racemosa</i> Hook F.	मूल	(Rt.)	326
21.	शतावरी	Shatavari	<i>Asparagus recemosus</i> Willd	मूल	(Rz.)	3022

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

22.	फिटकरी	Fitakari(Alum)	$K_2SO_4Al_2(SO_4)_3.24H_2O$	–		775
23.	निशोथ	Nishotha	<i>Operculina turpethum (L.)</i>	मूल	(Rt.)	3931
24.	सैधव लवण	Saindhav lavana	Rock salt	–		1367
25.	सौंफ	Saunfa	<i>Anethum sowa</i>	फल	(Fl.)	887
26.	काली मरिच	Maricha	<i>Pipier nigrum</i>	फल	(Fr.)	1227
27.	विधायरा	Vidhayara	<i>Argyreia speciosa</i>	मूल	(Rt.)	782
28.	चीनी (एम.31)	Sugar (M-31)		–		10842
29.	छोटी इलायची	Ela	<i>Elettaria cardamomum (Linn.)</i>	फल	(Fr.)	628
30.	तेजपत्र	Tejapatra	<i>Cinnamomum tamala (Buch. Ham.)</i>	पत्र	(Lf.)	237
31.	लौंग	Lavanga	<i>Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L. Perry</i>	पुष्प कलिका	(Fl.Bd.)	954
32.	दालचीनी	Dalchini	<i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i>	शाखा त्वक	(St.bk.)	353
33.	खड़िया मिट्टी	Khadiya mitti	Kaolinite	–		581
34.	कर्पूर देशी(आई.पी-)	Karpoor(I.P.)	<i>Cinnamomum camphora (L.) Nees</i>	–	Satva	93
35.	वंशलोचन	Vamshlochana	<i>Bamusa bambos Druce</i>	–	(S.C)	1200
36.	धनिया	Dhanyaka	<i>Coriandrum sativum</i>	फल	(Fr.)	195
37.	अनारदाना	Dadima (seed)	<i>Punica granatum Linn</i>	बीज	(Sd)	272
38.	मिश्री	Sita (mishri)	<i>Saccharum officinarum Linn</i>	–	(St.)	5473
39.	गाजवाँ	Gajava	<i>Onosma bracteatum Wall</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	224
40.	मुनक्का / द्राक्षा	Munakka/Draksha	<i>Vitisvinifera Linn</i>	शुष्क फल	(Dr.Fr.)	243
41.	अंजीर	Anjeera	<i>Ficus hispida Linn.f.</i>	शुष्क फल	(Dr.Fr.)	223
42.	उन्नाव	Unnav	<i>Zizyphus jujuba</i>	शुष्क फल	(Fr.)	223
43.	वासा	Vasa	<i>Adhatoda vasica Nees</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	294
44.	जूफा	Jufa	<i>Hyssopus officinalis</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Fr.)	224
45.	लेसवा	Lesava	<i>Cardia dichotoma Forst</i>	शुष्क फल	(Fr.)	255
46.	खूबकला	Khubakala	<i>Sisymbrium irio Linn</i>	बीज	(Sd.)	228
47.	हंसराज	Hansraja	<i>Adiantum lunulatum Burm</i>	सम्पूर्णवनस्पति	(Pl.)	224
48.	गुलबनप्सा	Gulbanpsa	<i>Viola odorat</i>	सम्पूर्णवनस्पति	(Fl.)	224

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

49.	अलसी	Alsi	<i>Linum usitatisimum Linn</i>	बीज	(Sd.)	224
50.	रेशाखत्मी	Reshakhatmi	<i>Althaea officinalis</i>	मूल	(Rt.)	223
51.	लाल चन्दन	Lalchandana	<i>Pterocarpus santalinus Linn.f.</i>	काष्ठ मज्जा	(Hd.Wd.)	142
52.	कुटज छाल	Kutaja	<i>Holarrhenaantidysenterica (Roth)</i>	शाखा त्वक	(St.Bk)	563
53.	हल्दी	Haldi	<i>Curcuma longa Linn</i>	प्रकन्द	(Rz.)	316
54.	चिरायता (नेपाली)	Chirayata	<i>Swertia chirata Buch</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	212
55.	जामुन की गुठली	Jamuna seed	<i>Syzygiumcumini (Linn.)</i>	शुष्क बीज	(Sd.)	385
56.	आम की गुठली	Amra seed	<i>Mangifera indica Linn</i>	शुष्क बीज मज्जा	(Sd.)	385
57.	सूखा करेला	Karela(dry)	<i>Momordicacharantia Linn</i>	शुष्क फल	(Fr.)	385
58.	गुडमार	Gudamara	<i>Gymnema sylvestre R.Br</i>	पत्र	(Lf.)	385
59.	दानामेथी	Danamethi	<i>Trigonellafoenum-graecum Linn</i>	बीज	(Sd.)	385
60.	बिल्वपत्र	Bilvapatra	<i>Aegle marmelos Carr</i>	शुष्क पत्र	(Lf.)	390
61.	नीम की निमोली	Neem dry seed	<i>Azadirachta indica A. Juss</i>	शुष्क बीज	(Sd.)	385
62.	बला बीज	Bala beeja	<i>Sida cardifolia Linn</i>	बीज	(Sd.)	949
63.	सनाय पत्ता	Sanaya leaf	<i>Cassia angustifolia Vahl</i>	पत्र	(Lf.)	2181
64.	बबूल फली	Babula	<i>Acacia arabica Willd.</i>	शुष्क कच्चीफली	(Fr.)	385
65.	कांचनार छाल	Kanchnara	<i>Bauhinia variegata Blume</i>	शाखा त्वक	(St. Bk.)	333
66.	कण गुग्गुलु	Kana Guggula	<i>Commiphora mukul Engl</i>	निर्यास	(Exd.)	4822
67.	सफेद मुसली	Sweta musali	<i>Chlorophytum tuberosum Baker</i>	मूल	(Rt.)	178
68.	सोनागेरू	Sonageru(Swarna gairika)	Red ochre	—		1408
69.	पुनर्नवा	Punarnava	<i>Boerhaavia diffusa Linn</i>	मूल	(Rt.)	1236
70.	पटोल पत्र	Patolapatra	<i>Trichosanthes dioica Roxb.</i>	पत्र		672
71.	एरण्ड तैल(आई.पी.)	Erand taila(I.P.)	<i>Ricinus communis</i>	—	(Oil)	274
72.	यवक्षार	Yavkshara	<i>Hordeum vulgare Linn</i>	—	(Pl.)	199
73.	रासना	Rasna	<i>Pluchea lanceolata Oliver & Hiern</i>	पत्र	(Lf.)	830
74.	बिल्व छाल	Bilva	<i>Aegle marmelos</i>	शाखा त्वक	(St.Bk)	1706
75.	अरणी छाल	Arni(Agnimantha)	<i>Clerodendrum phlomidis Linn.</i>	शाखा त्वक	(St.Bk)	1629

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

76.	अरलू छाल	Arlu	<i>Alinthex excelsa.</i>	शाखा त्वक	(St.Bk)	1629
77.	पाढल छाल	Padhala(Patala)	<i>Stereospermum suaveolens DC.</i>	शाखा त्वक	(St.Bk)	1629
78.	गंभारी छाल	Gambhari	<i>Gmelina arborea Roxb</i>	शाखा त्वक	(St.Bk)	1629
79.	छोटी कटेली	Kantakari	<i>Solanum surattense Burm</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	1972
80.	बड़ी कटेली	Brihati	<i>Solanum indicum Linn.</i>	सम्पूर्णवनस्पति / मूल/शाखा	(Pl.)	1663
81.	पृश्नपर्णी	Prisnaparni	<i>Uraria picta Desv</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	1663
82.	शालपर्णी	Shalaparni	<i>Desmodium gangeticum DC.</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	1663
83.	तिल तैल (एग्मार्क)* 15Kg के पैकिंग में देना होगा	Tila taila(Agmark*) Packing size-15kg	<i>Sesamum indicum Linn.</i>	—	(Sd.)	15465
84.	शहद(एग्मार्क)	Honey (Agmark*)		—	—	1436
85.	गुड	Guda	<i>Saccharum officinarum Linn</i>	—	(St.)	247
86.	जहर मोहरा	Jaharamohara	(Serpentine) hydrous silicate of Magnesium	—	—	63
87.	हरताल तबकिया	Hartal tabakia	Arsenic trisulphide (As ₂ S ₃)	—	—	79
88.	शंखनाभी	Sankhanabhi	Conch shell	—	—	833
89.	पठानी लोध्र	Pathani Lodhra	<i>Symplocos racemosa Roxb</i>	शाखा त्वक	(St.Bk.)	1186
90.	खस	Khasa	<i>Vetiveria zizanioides (Linn.)</i>	मूल	(Rt.)	217
91.	अमलतास	Amaltasa	<i>Cassia fistula Linn</i>	शुष्कफल मज्जा	(Fr.P.)	714
92.	एरण्डमूल	Erand moola	<i>Ricinus communis Linn</i>	मूल	(Rt.)	730
93.	देवदारु	Devadaru	<i>Cedrus deodara (Roxb.)Loud</i>	काष्ठ मज्जा	(Ht.wd.)	1276
94.	सुपारी	Supari	<i>Areca catechu Linn</i>	बीज	(Sd.)	288
95.	वाय विडंग	Vidanga	<i>Embelia ribes Burm</i>	फल	(Fr.)	1238
96.	खदिरसार (कत्था सफेद)	Khadirasara	<i>Acacia catechu (Linn.</i>	काष्ठ मज्जा	(Ht.Wd.)	147
97.	स्वेत जीरा	Swetajeera	<i>Cuminum cyminum, Linn</i>	फल	(Fr.)	530
98.	अतीस कडवा	Atis kadva	<i>Aconitum heterophyllum Wall</i>	मूल	(Rt.)	155
99.	समुद्री लवण	Samudri lavana	Sea salt	—	—	307
100.	विड लवण	Vida lavana	Amonuim salt	—	—	174

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

101.	गिलोय (गुडूची)	Guduchi	<i>Tinospora cordifolia</i> (Willd.)	शाखा	(St.)	5644
102.	काला जीरा	Blackjeera	<i>Carum carvi</i> Linn	फल	(Fr.)	487
103.	अजवायन	Ajwain	<i>Trachyspermum ammi</i> (Linn.)	फल	(Fr.)	203
104.	अजमोदा	Ajamoda	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.)	फल	(Fr.)	395
105.	बला पंचांग	Bala panchanga	<i>Sida cordifolia</i>	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	842
106.	बिदारीकन्द	Vidarikanda	<i>Pueraria tuberosa</i> DC.	कन्द	(Tuberous root.)	471
107.	तालीस पत्र	Talishapatra	<i>Abies webbiana</i> Lindl	पत्र	(Lf.)	138
108.	नागरमोथा	Nagarmotha	<i>Cyperus rotundus</i> Linn	मूल	(Rz.)	938
109.	नीमछाल	Neem bark	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss	शाखा त्वक्	(St.Bk.)	815
110.	तुलसी पंचांग	Tulasi panchanga	<i>Ocimum sanctum</i> Linn	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	151
111.	नवसादर	Navasadara	<i>Amonium chloride</i>	—	—	32
112.	निम्बुसत्व(आई.पी.)	Nimbu satva(I.P.)	<i>Citrous limon</i> (L.) Burm.f.	—	Satva	32
113.	कर्कटशृंगी	Karkatshringi	<i>Pistacia integerrima</i> Stew	कीट घर	(Gl.)	90
114.	वराटिका	Varatika	Cowry shell	—	—	82
115.	वचा	Vacha	<i>Acorus calomus</i> Linn	प्रकन्द	(Rz.)	85
116.	बबूल छाल	Babula bark	<i>Acacia arabica</i> Willd	शाखा त्वक	(St. Bk.)	162
117.	कूठ कडवा	Kustha kadva	<i>Saussurea lappa</i> C.B. Clarke	मूल	(Rt.)	102
118.	पारद (Hg.)(99.99% pure)	Mercury(hg.)(99.99% pure)		—	—	5.7
119.	अपामार्ग पंचांग	Apamarga	<i>Achyranthes aspera</i> Linn	सम्पूर्ण वनस्पति	(Pl.)	5
120.	भारंगी छाल	Bharangi bark	<i>Clerodendrum serratum</i> Linn	मूल	(Rt.)	21
121.	गंधक औवलासार	Gandhaka amalasara	Sulpher	—	—	454
122.	वरुण छाल	Varuna	<i>Crataeva nurvala</i> Buch-Ham	शाखा त्वक	(St.Bk.)	117
123.	अम्लवेतस	Amlavetasa	<i>Garcinia pedunculata</i>	फल	(Fr.)	70
124.	मंजीठ	Manjistha	<i>Rubia cordifolia</i> Linn.	मूल	(St.)	272
125.	करंज बीज	Karanja beeja	<i>Pongamia pinnata</i>	बीज	(Sd.)	58
126.	मोम देशी; Bees Wax) (आई.पी.)	Bees wax(I.P.)	—	—	—	84

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

127.	बबुल गोंद (आई. पी.)	Babula gonda(I.P.)	<i>Acacia arabica</i> Willd	निर्यास	(St.Ext.)	135
128.	दारुहल्दी	Daruhaldi	<i>Berberis aristata</i> DC.	काष्ठ मज्जा	(Ht.Wd.)	230
129.	अजवायन सत्व (आई.पी.)(I.P.)	Ajwain satva	<i>Trachyspermum ammi</i> (Linn.)	—	(Satva)	16
130.	पुदिना सत्व(आई. पी-)	Pudina satva	<i>Mentha spicata</i> var.	—	(Satva)	102
131.	गुलाब फूल	Gulab dry flower	<i>Rosa centifolia</i> Linn	शुष्क फूल	Dry petals	121
132.	सर्पगंधा	Sarpagandha	<i>Rauwolfia serpentina</i> Benth	मूल	(Rt.)	135
133.	अकीक	Akika	(Agate) <i>silica mineral</i> (Sio2)	—	—	73
134.	सोया	Soya(Shatpushpa)	<i>Anethum sowa</i>	फूल	(Fl.)	398
135.	सोभर लवण	Sambhara lavana	Sambar salt	—	—	21
136.	पद्माख	Padmakha	<i>Prunus cerasoides</i>	शाखा	(st.)	54
137.	निलोत्पल	Nilotpala	<i>Nymphaea stellata</i> Willd.	फूल	(Fl.)	73
138.	सारिवा	Sariva	<i>Hemidesmus indicus</i>	मूल	(Rt.)	208
139.	नीलाथोथा	Neela thotha(Blue vitriol)	CuSo ₄ .5H ₂ O	—	—	53
140.	हिंगुल	Hingula	Cinnabar	—	—	2
141.	वत्सनाभ	Vatsanabha	<i>Aconitum ferox</i> wall.ex.Ser.	प्रकन्द	(Rt.Tr.)	46
142.	कुचला	Kuchala	<i>Strychnos nux-vomica</i> Linn	बीज	(Sd.)	18
143.	भल्लातक	Bhallatka	<i>Semecarpus anacardium</i> Linn.	फल	(Fr.)	39
144.	निम्बपत्र	Nimbapatra	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss	पत्र	(Lf.)	717
145.	जाति पत्र(चमेली)	Jatiptra	<i>Jasminum officinale</i> Linn	पत्र	(Lf.)	54
146.	हींग	Hingu niryasa	<i>Ferula foetida</i> Regel	निर्यास	(Exd.)	272
147.	दन्ति	Danti	<i>Baliospermum montanum</i> Muell – Arg.	मूल	(Rt.)	9
148.	कहरवा	Kaharava	Amber(<i>trnakantamani</i>)	—	—	76
149.	कालानमक	kalanamka	Black salt	—	—	358
150.	भूमिआवंला	Bhumiamla	<i>Phyllanthus niruri</i> Hook	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	170
151.	इंद्रवारुणी	Indravaruni	<i>Citrullus colocynthis</i>	मूल	(Rt.)	122

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

152.	शियुछाल	Shigrubark	<i>Moringa pterygosperma</i> Gaertn	शाखा त्वक	(St. Bk.)	105
153.	काकमाची	Kakamachi(Makoya)	<i>Solanum nigrum</i> Linn	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	151
154.	प्रवालशाखा	Pravala shakha	Coral	—शाखा	Branch	106
155.	प्रवालमूल	Pravala Moola	Coral	मूल	(Rt.)	127
156.	औदभिद लवण	Audbhida Lavana	—	—	—	9
157.	छोटी हरीतकी(जवाहरीतकी))	Choti Haritaki(Jawaharitaki)	<i>Terminalia Chebula</i> Retz	शुष्क फलमज्जा	(P.)	2679
158.	लोह	Louha	Iron	—	—	49
159.	मण्डूर	Mandura	Ferric oxide Fe%(Dross iron)(API standard)	—	—	277
160.	मुक्ताशुक्ती	Muktashukti	Oyster Shell	—	—	355
161.	निर्गुण्डी पत्र	Nirgundi Patra	<i>Vitex negundo</i> Linn	पत्र	(Lf.)	680
162.	रोहितक	Rohitaka	<i>Tecomella undulate</i> (G.Don)Seem	शाखा त्वक	(St. Bk.)	31
163.	सर्पप तैल(एग्मार्क)* ;(15Kg के पैकिंग में देना होगा)	Sarshap Taila(Agmark*) Packing size-15kg	<i>Brassica campestris</i> Linn	बीज	(Sd.)	18
164.	अर्क(dry leaf)	Arka	<i>Calotropis procera</i> (Ait)R.Br.	पत्र	(Lf.)	745
165.	श्वेतचंदन	Candana(Sveta)	<i>Santalum album</i> Linn	काष्ठ मज्जा	(Ht.Wd.)	26
166.	अभ्रक	Abhraka	Mica(biotite)	—	—	8
167.	अभ्रकपत्र	Abhraka Mica (sheet)	Mica(biotite)	—	—	8
168.	अगरू	Agaru	<i>Aquilaria agallocha</i> Roxb.	काष्ठ मज्जा	(Ht.Wd.)	26
169.	दर्भ	Darbha	<i>Imperata cylindrical</i> Beauv.	मूल	(Rt.)	18
170.	धातकीपुष्प	Dhatakupuspa	<i>Woodfordia fruticosa</i> Kurz.	फूल	(Fl.)	1
171.	धतुरपत्र सूखा	DhaturoPatra dry	<i>Datura metel</i> Linn	पत्र	(Lf.)	680
172.	एरण्डपत्र सूखा	Erandpatra dry	<i>Recinus communis</i> Linn	पत्र	(Lf.)	675
173.	गजप्पिपली	Gajapippali	<i>Scindapsus officinalis</i> Schult.	फल	(Fr.)	1
174.	गंधविरोजा	Gandhabiroja	<i>Pinus roxburghii</i> sargent	निर्यास	(Exd.)	1
175.	इक्षुमूल	Iksu mool	<i>Saccharum officinarum</i> Linn	मूल	(Rt.)	18

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

176.	जावित्री	Jatikosha(Javitri)	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	अँरिल	(Ar.)	1
177.	जायफल	Jatiphala	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	फल	(Fr.)	1
178.	जीवक	Jivaka	<i>Microstylis muscifera</i> Ridley	प्रकन्द	(Rz.)	37
179.	जीवन्ती	Jivanti	<i>Leptadenia reticulate</i> W.& A.	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	38
180.	काकनासिका	Kakanasika	<i>Maritima annua</i> Linn	फल	(Fr.)	20
181.	काकोली	Kakoli	<i>Lilium polyphyllum</i> D.Don.	कन्द	(Rz.)	20
182.	कमलबीज	Kamal seed	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn	बीज	(Sd.)	1
183.	करजपत्र सूखा	Karanjapatra	<i>Pongamia pinnata</i> (Linn) Merr.	पत्र	(Lf.)	54
184.	कास	Kasa	<i>Saccharum spontaneum</i> Linn	मूल	(Rt.)	18
185.	कसेरु	Kaseru	<i>Scirpus kysoor</i> Roxb.	मूल कन्द	(Rt tbr)	1
186.	लालमिर्चबीज	LalaMirchaBeeja	<i>Capsicum annum</i> Linn	बीज	(Sd.)	150
187.	मदनफल	MadanphalaChoor na	<i>Randia dumetorum</i> Lamk.	फल	(Fr.)	12
188.	मण्डूकपर्णी	Mandukaparni	<i>Centella asiatica</i> (Linn) Urban	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	7
189.	माषपर्णी	Masaparni	<i>Teramnus Labialis</i> Spreng	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	37
190.	भेदौ	Meda	<i>Polygonatum cirrhifolium</i> Royle.	कन्द	(Rz.)	37
191.	मुद्गपर्णी	Mudgaparni	<i>Phaseolus radiates</i> Ait.	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	37
192.	नेत्रबला(उदीच)	Netrabala(Udichy a)	<i>Povania odorata</i> Willd.	मूल	(Rt.)	0.3
193.	पलास	Palasha(bk)	<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Kuntze)	शाखा त्वक	(St. Bk.)	32
194.	पर्पटक	Parpataka	<i>Fumaria parviflora</i> Lam	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	0.3
195.	ऋद्धि	Riddhi	<i>Habenaria intermedia</i> D. Don	कन्द	(Rz.)	20
196.	ऋषभक	Rsabhaka	<i>Microstylis wallichii</i> Lindl.	कन्द	(Rz.)	37
197.	सहचर	Sahacher(Saireya ka)	<i>Barleria prionitis</i> Linn	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	270
198.	शैलेय (छरीला)	Saileya(chadila)	<i>Parmelia perlata</i> Ach.	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	0.8
199.	शंखपुष्पी	Sankhapuspi	<i>Convolvulus pluricaulis</i> Choisy	सम्पूर्ण वनस्पति	(W.P.)	7
200.	सप्तपर्ण	Saptaparna	<i>Alstonia scholaris</i> R.Br.	शाखा त्वक	(St. Bk.)	71
201.	सर	Sara	<i>Saccharum munja</i> Roxb	मूल	(Rt.)	18

M-17/15/2025-PHARM/ Pharmacy/ Rate Contract for Supply of Raw Drugs/ 2025-26

202.	शटी	Sati	<i>Hedychium spicatum</i> Ham ex. Smith	कन्द	(Rz.)	20
203.	शियुपत्र	Shigrupatra	<i>Moringa oleifera</i> Lam	पत्र	(Lf.)	675
204.	सिंहाडा	Srnagatak	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb.	फल	(Fr.)	0.8
205.	त्रायमाण	Trayamana	<i>Gentiana kurroo</i> Royle	मूल	(Rt.)	21
206.	शालिमूल	Shali root	<i>Oryza sativa</i> Linn	मूल	(Rt.)	18
207.	ईमली	Imali fruit (ripe)	<i>Tamarindus indica</i> Linn	फल	(Fr.)	66
208.	स्टार्च चूर्ण	Starch powder	-	-	-	28
209.	शिलाजीत	Shilajit / Mineral pitch	-	-	-	19
210	ताम्र (ताम्र99%) तार	Tamra (copper 99%) wire very fine	-	-	-	7
211	सर्जिंक्षार	Swarajika Kshara (Sajji Kshara)	-	-	-	55

Note- Abbreviation for Plant Parts was taken from The Ayurvedic Formulary of India